



The Bihar Taxation Law Amendment Act, 2017

Act 13 of 2017

Keywords:

Goods, Surcharge, Sale

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 378) पटना, सोमवार, 8 मई 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 मई 2017

सं0 एल0जी0-01-15/2017/96लेज: ।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 03 मई, 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 13, 2017]

बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन

करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। - (1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

2. परिभाषा। - "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस संशोधन अधिनियम, 2017 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा (2ठ) का संशोधन। - (1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (इस अधिनियम में इसके पश्चात्, "मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 2 का खण्ड (ठ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

'(ठ) "माल" से अभिप्रेत है,' संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची II के प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल;

(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (ण) के उप-खण्ड (i) तथा (ii) विलोपित किए जाएंगे।

4. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3क में संशोधन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) में शब्द "उसके द्वारा संदेय कर के अलावे" के बाद शब्द "अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट" विलोपित किए जाएंगे।

5. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3कक का विलोपन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3कक विलोपित की जायेगी।

6. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 का विलोपन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 विलोपित की जायेगी।

7. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 5 का विलोपन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 5 विलोपित की जायेगी।

8. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 का विलोपन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 विलोपित की जायेगी।

9. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 में संशोधन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 में शब्द तथा अंक "धारा 6" के बाद शब्द समूह, अंक एवं कोष्ठक "धारा 7 या धारा 13 की उप-धारा (2)" को शब्द समूह, अंक एवं कोष्ठक "धारा 13 की उप-धारा (1)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 में संशोधन। - (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (1) विलोपित की जायेगी तथा धारा 13 की वर्तमान उप-धाराएँ (2) तथा (3) को क्रमशः (1) एवं (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"(क) मालों की बिक्री पर कर का उद्ग्रहण राज्य में बिक्री की श्रृंखला में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर किया जायेगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

(3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (ख) में शब्द "किसी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार" के बाद शब्द "अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट" विलोपित किये जाएंगे।

(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (ग) में शब्द "प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार" के बाद शब्द "अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट" विलोपित किये जायेंगे।

11. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 में संशोधन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

"14. मालों की बिक्रय कीमत पर, पचास से अनधिक, किन्तु बीस प्रतिशत से अत्युच्च की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुये, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कर संदाय होगा।

12. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 विलोपित की जायेगी।

13. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15क का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15क विलोपित की जायेगी।

14. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15ख का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15ख विलोपित की जायेगी।

15. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 विलोपित की जायेगी।

16. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 में संशोधन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (1क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई रजिस्ट्रिकृत व्यौहारी है, प्रत्येक तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित विक्रय, क्रय, प्राप्तियों और माल के प्रेषण तथा किसी अन्य संव्यवहार से सम्बन्धित अपने सभी संव्यवहार के संबंध में एक सही एवं सम्पूर्ण विवरणी विहित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, आयुक्त द्वारा अधिसूचना के द्वारा विहित तिथि को या उससे पूर्व दाखिल करेगा:

किन्तु यह भी कि, भिन्न प्रकार के रजिस्ट्रिकृत व्यौहारी हेतु भिन्न तिथि निर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (4) एवं (4क) विलोपित की जायेगी।

(3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“(5) यदि कोई विवरणी दाखिल करने के लिए विहित नियत तारीख अवकाश का दिन है तो अगली तारीख को जिसको कार्यालय खुलता है, नियत तारीख समझी जायेगी।”

(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (6) में शब्द, अंक एवं कोष्ठक “उप-धारा (1क) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4)” शब्द, अंक एवं कोष्ठक “उप-धारा (1क) या उप-धारा (3)” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(5) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (6) के प्रथम परंतुक के शब्द समूह “उप-धारा (3)” के पश्चात् शब्द, अंक एवं कोष्ठक “या उप-धारा (4) या उप-धारा (4क)” को विलोपित किया जायेगा।

(6) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (7) में शब्द समूह “दाखिल” के पश्चात् शब्द, अंक एवं कोष्ठक “उप-धारा (1क) के अधीन तिमाही विवरणी अथवा उप-धारा (4) के अधीन तिमाही व्यौहारे” को शब्द, अंक एवं कोष्ठक “उप-धारा (1क) के अधीन विवरणी” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(7) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (8) के शब्द, अंक एवं कोष्ठक “अथवा उप-धारा (3)” के पश्चात् शब्द, अंक एवं कोष्ठक अथवा उप-धारा (4क) अथवा उप-धारा (4) अधीन तिमाही व्यौहारे” को विलोपित किया जायेगा।

(8) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (9) के खण्ड (क) में शब्द समूह “धारा 15 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (4) के अधीन कर चुकाने के अनुज्ञात प्रत्येक व्यौहारी को छोड़कर” को विलोपित किए जाएंगे।

(9) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (9) का खण्ड (ख) विलोपित किया जायेगा।

(10) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (10) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“(10) यदि कोई व्यौहारी, उप-धारा (1क) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित विवरणी उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसार कर की रकम का संदाय करने के लिए असफल रहता है तो ऐसा व्यौहारी:-

(क) उसके द्वारा यथास्थिति विवरणी या त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार उप-धारा (9) के अधीन संदाय पर कर; या

(ख) उस अवधि के लिए संदाय पर कर, जिसके लिए वह उप-धारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहा है,

उस तारीख से जिसको इस प्रकार संदाय कर उसके संदाय की तारीख को नियत हो गया था, नियत रकम के डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) जहाँ कर के संदाय में व्यतिक्रम की अवधि एक मास से कम की अवधि है वहाँ ऐसी अवधि के संबंध में ऐसे कर पर संदेय ब्याज समानुपातिक रूप से संगणित किया जाएगा;

(ii) “मास” से तीस दिन अभिप्रेत हैं।”

17. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24क का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24क विलोपित की जायेगी।

18. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 30 का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 30 विलोपित की जायेगी।

19. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 में संशोधन। – (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) विलोपित किये जायेंगे।

(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में शब्द “के जो अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट है,” को विलोपित किया जायेगा।

(3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में शब्द “द्वारा अपेक्षित साक्ष्य” के बाद शब्द, अंक एवं कोष्ठक “धारा 13 की उप-धारा (2),” शब्द, अंक एवं कोष्ठक “धारा 13 की उप-धारा (1),” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1क) को विलोपित किया जायेगा।

20. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 36 का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 36 विलोपित की जायेगी।

21. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 52 में संशोधन। – (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 52 की उप-धारा (1) में कोष्ठक, शब्द तथा अंक “(धारा 15 की उप-धारा (1), या उप-धारा (1क) या उपधारा (4) के अधीन कर के संदाय के लिए अनुज्ञात व्यौहारी से भिन्न)” को विलोपित किया जायेगा।

(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 52 की उप-धारा (4) को विलोपित किया जायेगा।

22. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 53 में संशोधन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 53 की उप-धारा (1) का खण्ड (क) विलोपित किया जायेगा।

23. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 69क का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 69क विलोपित की जायेगी।

24. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची I, अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IIIक तथा अनुसूची IV का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I, अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IIIक तथा अनुसूची IV, विलोपित की जायेगी।

25. व्यावृत्ति। – (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम का संशोधन (यथास्थिति जिसे इसके पश्चात् “ऐसा संशोधन” या “संशोधित अधिनियम” कहा गया है) उपधारा (2) में उल्लिखित विस्तार तक –

(क) ऐसे संशोधन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) पूर्व प्रचालित संशोधित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे संशोधन के अधीन संशोधित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोदभूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा:

परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है;

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या संशोधित अधिनियम के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों को वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहीत या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इस अधिनियम को इस प्रकार संशोधित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ;

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में बिहार एवं उड़ीसा साधारण खंड अधिनियम, 1917 की धारा 8 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभावित करने के उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

8 मई 2017

सं0 एल0जी0-01-15/2017/97/लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 मई 2017 को अनुमत बिहार करधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी

अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 13, 2017]

THE BIHAR TAXATION LAW AMENDMENT ACT, 2017

AN
ACT

to further amend the Bihar Value Added Tax Act, 2005

BE it enacted by Legislature of Bihar in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Taxation Law Amendment Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definition.“appointed day” means the date on which the provisions of this Act come into force.

3. Amendment of Section 2 (1) of the Bihar Value Added Tax Act, 2005.-(1) Clause (1) of section 2 the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (hereafter referred to in this Act as “the Value added Tax Act”) shall be substituted by the following, namely:-

‘(1) “goods” means the goods included in Entry 54 of List II of the seventh schedule to the Constitution;’.

(2) Sub-clause (ii) and sub-clause (iii) of clause (o) of section 2 of the Value added Tax Act shall be deleted.

4. Amendment of section 3A of the Value Added Tax Act, 2005.-The words “specified in Schedule IV” after the words “surcharge on the sale of goods” in Sub-section (1) of Section 3A of the Value Added Tax Act shall be deleted.

5. Deletion of section 3AA of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 3AA of the Value Added Tax Act shall be deleted.

6. Deletion of section 4 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 4 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

7. Deletion of section 5 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 5 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

8. Deletion of section 7 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 7 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

9. Amendment of section 8 of the Value Added Tax Act, 2005.-The words, figures and bracket “or section 7 or sub-section (2)” after the words “under section 6” of section 8 the Value Added Tax Act shall be substituted by the words figures and bracket “or sub-section (1)”.

10. Amendment of section 13 of the Value Added Tax Act, 2005.-(1) Sub-section (1) of section 13 of the Value Added Tax Act shall be deleted and the existing sub-sections (2) and (3) shall be re-numbered as (1) and (2) respectively.

(2) Clause (a) of sub-section (2) of section 13 of the Value added Tax Act shall be substituted by the following namely:-

“(a) The tax on sale of goods shall be levied at such point or points in a series of sales in the State as a State Government may, by notification, specify.”

(3) The words and comma “specified in schedule IV,” after the words “sale of goods” in clause (b) of sub-section (2) of section 13 of the Value added Tax Act shall be deleted.

(4) The words and comma “in respect of any goods specified in schedule IV,” after the words “the State Government specifies” in clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Value added Tax Act shall be deleted.

11. Amendment of section 14 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 14 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the following, namely:-

“14. Tax shall be payable on the sale price of the goods at the rate not below ten percent and not exceeding fifty percent and subject to such conditions and restrictions, as the State Government may, by notification specify.”

12. Deletion of section 15 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 15 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

13. Deletion of section 15A of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 15A of the Value Added Tax Act shall be deleted.

14. Deletion of section 15B of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 15B of the Value Added Tax Act shall be deleted.

15. Deletion of section 16 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 16 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

16. Amendment of section 24 of the Valued Added Tax Act, 2005.-(1) Sub-section (1A) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the following, namely:-

“(1A) Every person, being a registered dealer shall furnish, to the prescribed authority, a true and complete return, in the form and manner prescribed, in respect of all his transactions relating to sales, purchases, receipts and dispatches of goods and any other transactions prescribed specially for each quarter, on or before such date as the Commissioner may, by notification, specify:

Provided that different dates may be specified in respect of different categories of registered dealers.”

(2) Sub-sections (4) and (4A) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(3) Sub-section (5) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the following, namely:-

“(5) If the due date prescribed for the filing of any return happens to be a holiday, the next date on which the office opens shall be deemed to be the due date.”

(4) The words, figures and brackets “in sub-section (1A) or sub-section (2) or sub-section (3) of sub-section (4)” after the words “contained in” in sub-section (6) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the words, figures and brackets “in sub-section (1A) or sub-section (3).

(5) The words, figures and brackets “or sub-section (4) or sub-section (4A)” after the words “or sub-section (3)” in the first proviso to sub-section (6) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(6) The words, figures and brackets “quarterly return under sub-section (1A) or the quarterly statement or sub-section (4)” after the words “furnished a” in sub-section (7) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the words, figures and brackets “return under sub-section (1A).

(7) The words, figures and brackets “or sub-section (4A) or the quarterly statement under sub-section (4)” after the words “or sub-section (3)” in sub-section (8) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(8) The words, figures and brackets “other than a dealer permitted to pay tax under the sub-section (1) and sub-section (4) of section 15” after the words “Every dealer” in clause (a) sub-section (9) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(9) Clause (b) of sub-section (9) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(10) Sub-section (10) of section 24 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the following, namely:-

“(10) If a dealer, required to furnish the return under sub-section (1A), fails to pay the amount of tax payable according to the provisions of sub-section (9), such dealer shall be liable to pay interest –

(a) in respect of tax payable under sub-section (9), by him in accordance with the return or revised return, as the case may be; or

(b) in respect of the tax payable for the period for which he has failed to furnish returns under sub-section (1A), at the rate of one and a half percent per month of the amount due from the date the tax so payable had become due to the date of its payment.

Explanation: For the purposes of this sub-section —

(i) where the period of default in payment of tax covers a period less than a month, the interest payable on such tax in respect of such period shall be computed proportionately;

(ii) month shall mean thirty days.”

17. Deletion of section 24A of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 24A of the Value Added Tax Act shall be deleted.

18. Deletion of section 30 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 30 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

19. Amendment of section 35 of the Value Added Tax Act, 2005.-(1) Clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 35 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(2) The words “in Schedule IV” after the words “specified in” in clause (f) of sub-section (1) of Section 35 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(3) The words “in sub-section (2) of section 13” after the words “evidence as required by” in clause (f) of sub-section (1) of Section 35 of the Value Added Tax Act shall be substituted by the words “in sub-section (1) of section 13”.

(4) Sub-section (1A) of Section 35 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

20. Deletion of section 36 of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 36 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

21. Amendment of section 52 of the Value Added Tax Act, 2005.-(1) The words, figures and bracket “(other than a dealer permitted to pay tax under sub-section (1) or sub-section (1A) or sub-section (4) of section 15),” in sub-section (1) of Section 52 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

(2) Sub-section (4) of Section 52 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

22. Amendment of section 53 of the Value Added Tax Act, 2005.-Clause (a) of the proviso to sub-section (1) of section 53 of the Value Added Tax Act shall be deleted.

23. Deletion of section 69A of the Value Added Tax Act, 2005.-Section 69A of the Value Added Tax Act shall be deleted.

24. Deletion of Schedule I, Schedule II, Schedule III Schedule IIIA and Schedule IV of the Bihar Value Added Tax Act, 2005.-Schedule I, Schedule II, Schedule III Schedule IIIA and Schedule IV appended to the Value Added Tax Act shall be deleted.

25. Saving.(1) The amendment of the Value Added Tax Act (hereafter referred to as “such amendment” or “amended Act”, as the case may be) to the extent mentioned in sub-section (2) shall not—

- (a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment; or
- (b) affect the previous operation of the amended Act and orders or anything duly done or suffered thereunder; or
- (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the amended Act or orders under the amended Act; or
- (d) affect any tax, surcharge, penalty, fine, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed against the provisions of the amended Act; or
- (e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if the Value Added Tax Act had not been so amended;
- (f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said amended Act and such proceedings shall be continued under the said amended Act as if this Act had not come into force and the Value Added Tax Act had not been amended.

(2) The mention of the particular matters referred to in sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 8 of the Bihar and Orissa General Clauses Act, 1917 with regard to the effect of repeal.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 378-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>